माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज मुझे इस सदन में हमारी सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है। गत वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय हमने कुछ प्राथमिकतायें तय की थी। मुझे आज इस सदन में यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार ने उन प्राथमिकताओं को पूरा करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया है। अब मैं इस सदन के समक्ष गत वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहूँगा :–

1.1 **कृषि ऋणों पर प्रचलित औसतन ब्याज दर को 14 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत तक लाया गया है, जो कि सम्पूर्ण भारत वर्ष में न्यूनतम है। इससे प्रदेश के लगभग 2 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं एवं उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी**। इसके साथ–साथ ब्याज की दरों में युक्तियुक्तकरण से कृषि ऋण की वसूली बेहतर होगी एवं सहकारी बैंकों के वित्तीय हालत में सुधार होगा। यद्यपि इस सम्पूर्ण व्यवस्था को लागू करने में राज्य शासन पर ''ब्याज अनुदान'' के रूप में लगभग 11 करोड़ का वार्षिक वित्तीय भार आएगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि इसे अनुदान के रूप में न देखा जाकर राज्य के कृषि क्षेत्र में निवेश माना जाना चाहिए।

1.2 गत वर्ष सिंचाई के क्षेत्र में पूर्व वर्षों की तुलना में 46 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि के साथ 780 करोड़ का बजट प्रावधान करते हुए सदन में मैंने अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने एवं 77,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र निर्मित करने की घोषणा की थी। **मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सफल रहे हैं। इस वर्ष एक वृहद परियोजना, तीन मध्यम परियोजना एवं 96 लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया है, जिनसे लगभग 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित हुई है।**

1.3 1 नवम्बर, 2004 से हमने नई औद्योगिक नीति लागू की है, जिसमें उद्योगों में पूंजीनिवेश आकर्षित करने के लिए अनेक रियायती पैकेज दिए गए हैं। **मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2004 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को देश में सर्वाधिक पूंजीनिवेश आकर्षित करने वाला राज्य माना गया है**। इस प्रकार पूंजीनिवेश के क्षेत्र में हमने नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

1.4 ''छत्तीसगढ़ अमृत नमक योजना'' का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करते हुए प्रदेश के 19 लाख गरीब परिवारों को 25 पैसे प्रति किलो की रियायती दर से आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराया गया है।

1.5 प्रदेश के शासकीय हाई स्कूल में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को निःशुल्क सायकल वितरण प्रारम्भ किया गया है।

1.6 मुझे सदन को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही अभिनव योजनाओं, राजस्व वृद्धि के लिए किए गए उपायों एवं राज्य के आर्थिक सुधारों की योजना आयोग द्वारा सराहना की गई है एवं **राज्य की वर्ष 2005–06 के लिए आयोजना सीमा में गत वर्ष की सीमा से लगभग 1000 करोड़ की वृद्धि की जाकर आयोजना सीमा 4275 करोड़ की गई है**।

2. इन उपलब्धियों के बावजूद मेरा यह मानना है कि विकास की दिशा में हमें अभी भी लंबी दूरी तय करना है। विकास की इस कड़ी को निरन्तर जारी रखते हुए हमनें वर्ष 2005–06 के बजट में भी विभिन्न क्षेत्रों के विकास हेतु नये लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसका विवरण अब मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करूँगा।

3. अध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात होगा कि गत वर्ष बजट पेश करते समय हमनें ''विधान सभा क्षेत्र विकास योजना'' जिसे संक्षेप में ''विधायक निधि'' कहा जाता था, को पुनर्जीवित किया था। **अब सदन में यह घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने एवं क्षेत्रीय जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विधायक निधि की राशि 30 लाख से बढ़ाकर 40 लाख की जा रही है**। इस राशि से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 30 लाख तक के कार्यों के प्रस्तावों को माननीय विधायकगण की अनुशंसा पर स्वीकृत किए जाएंगे तथा 10 लाख तक के कार्य जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा एवं प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त स्वीकृत किए जायेंगे।

आर्थिक स्थिति

4. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालना चाहूँगा। अद्यतन आर्थिक सर्वेक्षण काफी उत्साहवर्धक है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

4.1 वर्ष 2002–03 में छत्तीसगढ़ **राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 31,249 करोड़ की तुलना में वर्ष 2003–04 में 38,549 करोड़ अनुमानित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है**। इसी प्रकार प्रतिव्यक्ति आय वर्ष 2002–03 में 14,602 रुपए था जो वर्ष 2003–04 में 17,683 रुपए अनुमानित किया गया है। यह गत वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारण वर्ष 2003–04 में सामान्य वर्षा के फलस्वरूप खरीफ फसलों में लगभग 54 प्रतिशत की वृद्धि होना है। इससे स्पष्ट है कि गत वर्षों में कृषि तथा सिंचाई क्षेत्र में किए गए पूंजीनिवेश के अच्छे परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं।

4.2 वर्ष 2003–04 में खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 2002–03 के उत्पादन 42.83 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 62.37 लाख मेट्रिक टन हुआ है, जो कि वर्ष 2002–03 की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है।

4.3 विगत तीन वर्षों में प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर, स्थिर भावों (93–94) के आधार पर 11 प्रतिशत रही है। वर्ष 2002–03 की तुलना में वर्ष 2003–04 में प्रायमरी सेक्टर में 32 प्रतिशत, सेकेन्डरी सेक्टर में 22 प्रतिशत तथा टर्शरी सेक्टर में 17 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है।

मानव संसाधन विकास

5. गत वर्ष के बजट में हमारी प्राथमिकतायें अधोसंरचना का विकास रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि किसी भी देश के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचक उस देश का मानव संसाधन विकास होता है। **इस वर्ष के बजट में हमने मानव संसाधन विकास पर विशेष जोर दिया है**। राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सामाजिक क्षेत्रों में सेवाओं का स्तर एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों की बाहुल्यता को देखते हुए यह प्रासंगिक भी है।

शिक्षा

5.1 अध्यक्ष महोदय, विगत कई वर्षों से प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में काफी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। **राज्य शासन द्वारा शिक्षकों के इन रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिए 22 हजार शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है, जिस पर 34 करोड़ का व्यय होगा**। वर्तमान में कार्यरत विभिन्न प्रकार के शिक्षकों की व्यवस्था में युक्तियुक्तकरण करते हुए संविदा शिक्षकों को शिक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

5.2 प्रदेश के भवनविहीन स्कूलों के लिए भवन निर्माण का व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, जिसके लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ–साथ स्कूलों में शुद्ध पेय जल तथा शौचालय जैसी अत्यावश्यक सुविधायें प्रदान करने हेतु भी 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

5.3 शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से **प्रदेश के 15 जिलों में एक–एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला को ''मॉडल स्कूल'' के रूप में विकसित किया जाएगा**। इस हेतु 15 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

5.4 सरगुजा जिले के मैनपाट में ''सैनिक स्कूल'' स्थापना हेतु 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

5.5 प्राथमिक शालाओं में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए **''मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम'' के अंतर्गत बच्चों को प्रदान किए जा रहे पका हुआ अन्न को अधिक रूचिकर एवं पौष्टिक बनाया जाएगा**। इस हेतु मध्यान्ह भोजन में नियमित रूप से सब्जियाँ तथा भोजन के साथ विटामिन, आयरन तथा कृमि प्रतिरोधक दवाईयाँ मिलाकर प्रदान की जाएगी, जिससे बच्चों में कुपोषण की स्थिति को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त स्कूलों में किचन शेड बनाने का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश के सभी सूखाग्रस्त विकासखंडों की शालाओं में ग्रीष्म अवकाश के दौरान भी मध्यान्ह भोजन प्रदान किया जाएगा। **मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के संचालन हेतु गत वर्ष के बजट प्रावधान 75 करोड़ की तुलना में वर्ष 2005–06 में 106 करोड़ का प्रावधान रखा गया है**।

5.6 उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु अनेक नवीन योजनाओं की शुरूआत की जा रही है। राज्य के बी.पी.एल. परिवार के महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं के लिए **''बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना'' तथा**

''बी.पी.एल. बुक बैंक योजना'' लागू की जाएगी। इस हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

5.7 प्रदेश के 10 महाविद्यालयों को **''सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस''** के रूप में विकसित किया जाएगा।

5.8 कम्प्यूटर पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 5 शासकीय महाविद्यालयों में ''ई–क्लास रूम'' तथा 17 महाविद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जायेंगें। इस हेतु 2.42 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अविकसित क्षेत्रों महासमुंद, कवर्धा, थानखम्हरिया तथा गुंडरदेही में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु 4 नये महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।

5.9 अध्यक्ष महोदय, भिलाई शहर छत्तीसगढ़ में ''नॉलेज सिटी'' के रूप में विकसित हो रहा है। तकनीकी शिक्षा तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भारी संख्या में युवा विद्यार्थी प्रदेश के सुदूर अंचल तथा अन्य प्रांतों से भी भिलाई आते हैं। इसी तरह रायपुर एवं बिलासपुर भी विकसित हो रहे हैं। लेकिन इन शहरों में विद्यार्थियों के ठहरने की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। **इस समस्या को देखते हुए भिलाई, रायपुर एवं बिलासपुर में ''यूथ हॉस्टल'' का निर्माण किया जाएगा एवं इसके लिए 2 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है**।

5.10 तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के विशेष महत्व को देखते हुए राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु 5.18 करोड़ तथा एक नवीन आई.टी.आई. एवं 7 नवीन मिनी आई.टी.आई. की स्थापना हेतु 6 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य

5.11 स्वास्थ्य के विभिन्न सूचकांकों में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास एवं सुदृढ़ीकरण पर विशेष महत्व दिया गया है। इसके अंतर्गत सुरक्षित प्रसव एवं मातृत्व सेवायें सुनिश्चित करने हेतु ''फर्स्ट रेफरल यूनिट'' में प्रसव संबंधी शल्य चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जाएगी। इस व्यवस्था से शिशु मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी होगी। इसके लिए बजट में 5.30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

5.12 प्रदेश के लगभग दो तिहाई उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनविहीन है। ग्रामीण स्वास्थ्य अधोसंरचना क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु इन स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

5.13 **दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु ''मुख्यमंत्री दवा पेटी योजना'' प्रारम्भ की जाएगी, जिसके अंतर्गत 60 हजार मितानिनों को उल्टी–दस्त, मलेरिया आदि सामान्य बीमारियों की रोकथाम हेतु दवाओं की पेटी उपलब्ध कराई जाएगी**। इस हेतु 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

5.14 अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ–साथ हमने स्पेशलाईज्ड ट्रीटमेंट के विकास एवं सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया है। चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के सुदृढ़ीकरण हेतु 6.5 करोड़ तथा चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर की स्थापना हेतु 10 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

पेयजल

5.15 राज्य में पेयजल समस्या के निराकरण को हमारी सरकार ने सदैव प्राथमिकता दिया है। राज्य में 54,818 बसाहटों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जा चुका है। अगले वर्ष 4500 बसाहटों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य है। इस वर्ष ग्रामीण पेयजल हेतु 125.55 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। रायगढ़, महासमुन्द एवं कांकेर में जल आवर्धन योजनाएं तथा कोरबा, तिल्दा एवं बड़े बचेली में जल प्रदाय योजनाएं प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

अनुसूचित जाति/जनजाति विकास

5.16 अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की 44 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की है, जिनमें शिक्षा का विस्तार हमारे लिए बड़ी चुनौती है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए शिक्षा के विस्तार में आश्रम शालायें अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। **इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आश्रम शाला निर्माण हेतु 16 करोड़ का प्रावधान किया गया है**। इसी प्रकार 22 प्री–मैट्रिक छात्रावास तथा 10 पोस्ट–मैट्रिक छात्रावास की स्थापना हेतु भी प्रावधान किया गया है।

5.17 गरीब अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को सुपोषित भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''भोजन सहाय योजना'' लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत छात्रावास में रहने वाले छात्र–छात्राओं को भोजन व्यवस्था हेतु 200 रुपए प्रति छात्र के मान से अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए 1.21 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

5.18 अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावासों में रहने वाले **छात्रों को विशेष कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ''विशेष कोचिंग**

केन्द्र'' की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 64 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

5.19 प्रदेश के सुदूर अंचलों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शहरों में आने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्राओं को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रायोगिक तौर पर **रायपुर में सर्वसुविधायुक्त 500 सीटर महाविद्यालय कन्या छात्रावास की स्थापना की जाएगी**। इस हेतु बजट में 2.70 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

5.20 प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के 20 हाईस्कूलों को हायर सेकेन्डरी तथा 30 माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन किया जाएगा।

5.21 सर्वोत्तम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों एवं शालाओं को पुरस्कृत करने की योजना भी है।

5.22 आदिवासी बाहुल्य नारायणपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं संचालन हेतु रामकृष्ण मिशन को अनुदान के रूप में 1.20 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

समाज कल्याण

5.23 प्रदेश में महिला उत्पीड़न एवं अत्याचार रोकने हेतु महिलाओं को कानूनी सलाह देने के लिए राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय ''दहेज प्रतिषेध प्रकोष्ठ'' के गठन बाबत् 14 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। प्रदेश के जगदलपुर एवं बिलासपुर में ''क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान'' तथा एक राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र हेतु भवन तथा 755 आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु 14.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

5.24 अध्यक्ष महोदय, निःशक्तजनों के सशक्तीकरण हेतु हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। उन्हें बेहतर सेवा एवं सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के कवर्धा, कोरिया, कोरबा, धमतरी, महासमुन्द, कांकेर, दंतेवाड़ा, जांजगीर–चांपा तथा सरगुजा जिलों में ''जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र'' की स्थापना हेतु 1.44 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर एवं रायपुर में निःशक्तजनों के लिए हाई स्कूल खोले जाने हेतु 17.34 लाख का प्रावधान किया गया है। मंदबुद्धि बालिकाओं के लिए सरगुजा में एवं श्रवण बाधित बालिकाओं के लिए धमतरी में विशेष विद्यालय स्थापित करने हेतु बजट प्रावधान किया गया है। निःशक्तजनों के लिए ''निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना'' हेतु 21 लाख का प्रावधान किया गया है।

5.25 **राज्य के पेंशनर्स को दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से मंहगाई राहत 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया जाएगा।**

5.26 नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को समुचित प्रशिक्षण के लिये 1 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त रायगढ़ एवं कुरूद में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण हेतु 50 लाख का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, **मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि त्रि–स्तरीय पंचायत पदाधिकारियों के दैनिक भत्ते की राशि दुगुनी की गई है।**

श्रम

5.27 बिलासपुर में ''औद्योगिक न्यायालय खंडपीठ'' की स्थापना हेतु 16 लाख का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक प्रदूषण जांच के लिए ''इण्डस्ट्रीयल हाईजिन लेबोरेट्री'' स्थापित करने हेतु 50 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

खाद्य सुरक्षा

6. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की 42 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं। इन बी.पी.एल. परिवारों के खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इसे ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर ढंग से लागू करने के लिए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 लागू की गई है, **जिसके अंतर्गत प्रचलित व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए उचित मूल्य दुकानों का संचालन निजी हाथों से लिया जाकर सहकारी समितियों, ग्राम पंचायतों, महिला स्वसहायता समूहों एवं वन सुरक्षा समितियों को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है**। राज्य शासन के इस अभिनव प्रयोग की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा की गई है। इस नये प्रयोग को सफल बनाने हेतु पंचायतों, स्वसहायता समूहों जैसी संस्थाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना आवश्यक होगा। **इस उद्देश्य से इन संस्थाओं को राज्य शासन की ओर से कार्यशील पूंजी प्रदान की जाएगी एवं इस हेतु बजट में 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है**।

6.1 राज्य में खाद्य सुरक्षा के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्य शासन द्वारा **''खाद्य सुरक्षा कोष'' का गठन किया गया है**। इसका मुख्य उद्देश्य कुपोषण से प्रभावित एवं भूखमरी के संभावित दूरस्थ क्षेत्रों के हितग्राहियों को नियमित रूप से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। **निर्धन एवं पिछड़े क्षेत्रों में निवासरत लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम सम्पूर्ण भारत वर्ष में सर्वप्रथम प्रयास है**।

कृषि एवं सहकारिता

7. अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष हमने सहकारी बैंकों से प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋणों पर ब्याज की औसतन दर 14 प्रतिशत से घटाकर 9 प्रतिशत किया है। ग्रामीण साख व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के इस क्रम को जारी रखते हुए सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा उन्हें 5 वर्षों में 90 करोड़ की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 2005–06 में इस हेतु 18 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

7.1 हमारी सरकार ने लघु एवं सीमान्त कृषकों को व्यवसायिक एवं **सब्जी फसलों के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ''शाकम्बरी योजना'' प्रारंभ करने का निर्णय लिया है**। इस योजना के अंतर्गत 5 हार्स पॉवर तक के पम्प पर 75 प्रतिशत अनुदान तथा कुऐं एवं 10 हार्स पॉवर तक के जनरेटर सेट पर 50–50 प्रतिशत अनुदान दिये जायेगें। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 1.25 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

7.2 राज्य में कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु 45 लाख का प्रावधान किया गया है।

7.3 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र चंदखुरी के सुदृढ़ीकरण हेतु 50 लाख का प्रावधान किया गया है।

7.4 ''मछुआ कल्याण योजना एवं सेविंग कम रिलीफ योजना'' के अंतर्गत 1.01 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सिंचाई

8. अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष सिंचाई क्षमता में विस्तार हेतु 830 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें सोंढूर एवं समोदा मध्यम परियोजना का द्वितीय

चरण तथा सरोदा, खरखरा एवं तांदूला मुख्य नहर की शेष लाईनिंग का निर्माण तथा लघु सिंचाई की 110 नई योजनाएं प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है।

8.1 छोटे एवं मध्यम परियोजनाओं का लाभ उनकी पूरी क्षमता के अनुसार लेने के लिए एशियन डेव्हलपमेंट बैंक की सहायता से इन परियोजनाओं के पुनर्वास का कार्य भी प्रारम्भ किया जाएगा। साथ ही इस सहायता से प्रमुख बांधों के रख–रखाव के लिए समुचित संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगें।

8.2 **प्रदेश के वृष्टिछाया क्षेत्र के 6 जिलों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए लिए मौसमी नदी–नालों पर 47 एनीकेट के निर्माण हेतु इस वर्ष 20 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।**

अधोसंरचना विकास

9. अध्यक्ष महोदय, अधोसंरचना का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। **गत वर्ष सड़क, भवन एवं पुल–पुलिया निर्माण हेतु बजट में 772 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसमें 21 प्रतिशत वृद्धि करते हुए इस वर्ष 935 करोड़ का प्रावधान किया गया है।** राज्य के दूरस्थ अंचलों को मुख्य मार्ग से जोड़ने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाने के लिए इस वर्ष 165 पुल–पुलियों एवं 1225 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

9.1 नई दिल्ली में ''नये छत्तीसगढ़ भवन'' के निर्माण हेतु 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

9.2 शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रायपुर एवं दुर्ग में आवास गृह निर्माण के लिये 6 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

9.3 नगरों के व्यवस्थित विकास हेतु अगले वर्ष 10 नगरों की विकास योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है। निगम क्षेत्र के शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने के लिये 6 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

उद्योग

10. अध्यक्ष महोदय, राज्य में पूंजीनिवेशकों की निरन्तर बढ़ती संख्या को देखते हुए गत वर्ष के बजट में मैंने प्रदेश में पाँच नये औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार हेतु 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया था। **वर्ष 2005–06 में प्रदेश के विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र बोरई के विस्तार हेतु 10 करोड़ तथा रायपुर एवं रायगढ़ में पाँच–पाँच हजार एकड़ क्षेत्र में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।** औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए 1.85 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

10.1 औद्योगिकीकरण को स्थानीय रोजगार से जोड़ने की दृष्टि से हमने एक अभिनव पहल की है। गत वर्ष घोषित नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत शासन उन्हीं उद्योगों को कर में रियायत तथा अनुदान देगा, जो स्थानीय लोगों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार रोजगार उपलब्ध कराएगा। अकुशल श्रमिकों के लिए यह मापदण्ड 90 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के लिए 50 प्रतिशत एवं प्रशासकीय पदों के लिए 33 प्रतिशत है।

ग्रामोद्योग

11. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने में ग्रामोद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है। इस दिशा में परम्परागत हथकरघा, हस्तशिल्प तथा टसर उत्पादकों के सशक्तीकरण के लिए हमने सतत् प्रयास किए हैं। हथकरघा बुनकरों को बाजार के मांग अनुरूप नई डिजाईन

विकसित करने एवं आधुनिक तकनीक के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण हेतु जांजगीर–चांपा में ''भारतीय हाथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान'' की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 40 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

11.1 प्रदेश के बुनकर सहकारी समितियों के सशक्तीकरण की दिशा में उनके लिए ''कर्मशाला भवन निर्माण'' की नवीन योजना लागू की गई है।

11.2 अध्यक्ष महोदय, व्यापार में वैश्वीकरण को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के हस्तशिल्प एवं हथकरघा की विशिष्ट पहचान को बनाये रखने हेतु इनका पेटेंट कराना अत्यावश्यक है। **छत्तीसगढ़ के बेलमेटल एवं कोसा को पेटेंट करने हेतु 12.20 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।**

11.3 **प्रदेश के जशपुर, सरगुजा एवं बिलासपुर जिलों में प्रायोगिक तौर पर ''इरी'' कोसा का उत्पादन प्रारम्भ किया जाएगा।** इस हेतु 30.57 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

ऊर्जा

12. **राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा के साधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ''बायो फ्यूल विकास प्राधिकरण'' का गठन किया गया है। आगामी वर्षों में भू–जल सिंचाई के संसाधनों को बढ़ाने के लिये सभी किसानों को एक लाख पंप कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।**

वन एवं पर्यावरण

13. अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की पहचान वनों के कारण भी है, अतः हमारी सरकार ने वनों के समुचित विकास एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का ध्यान बजट में रखा है। जनसहभागिता से अधिकाधिक वृक्षारोपण के उद्देश्य से ''पौधा रोपण योजना'' प्रारम्भ की जाएगी, जिसके अंतर्गत लोगों को

मात्र एक रुपए के सांकेतिक मूल्य पर पौधे प्रदाय किए जायेंगे। इस योजना के लिए बजट में 50 लाख का प्रावधान रखा गया है। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में वृक्षारोपण के कार्य को गति देने के लिए ''हरियाली प्रसार योजना'' प्रारम्भ की जाएगी, जिसके लिए 25 लाख का प्रावधान रखा गया है। भू–क्षरण के कारण नदियों में आ रहे उथलेपन पर नियंत्रण हेतु नदियों के तट पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की योजना है, जिसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

13.1 वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीवों से जुड़े किसी एक क्षेत्र को आदर्श अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने की योजना है। वन सम्पदा के विकास में वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेष भूमिका होती है। राज्य में ''वन अनुसंधान संस्थान'' की स्थापना का निर्णय लिया गया है और इसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

खनिज संसाधन

14. कोयला रॉयल्टी के अपवंचन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु रायगढ़ एवं कोरबा जिलों में इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा स्थापित करने के लिये 75 लाख का प्रावधान रखा गया है।

पुलिस तथा परिवहन

15. नक्सली उन्मूलन अभियान में पदस्थ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों में भविष्य की आर्थिक सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करने के लिए सामूहिक बीमा योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत 25 लाख का प्रावधान किया गया है।

15.1 पुलिस विभाग में थाना चौकियों एवं पुलिस लाइनों में बल की कमी की पूर्ति हेतु स्वीकृत बल में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया गया है।

15.2 राज्य के तीन प्रमुख शहरों दुर्ग–भिलाई, रायपुर एवं बिलासपुर में यातायात पुलिस बल में 100 प्रतिशत वृद्धि करते हुए 500 नये पदों हेतु प्रावधान किया गया है।

15.3 प्रदेश में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं जन सुविधा को महत्व प्रदान करते हुए 12 नवीन थानों की स्थापना एवं 20 नवीन पुलिस चौकियों तथा 7 पुलिस चौकियों का थाने में उन्नयन हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है।

15.4 धमतरी, जांजगीर–चांपा, महासमुंद, कांकेर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, जशपुर तथा कोरिया में नये परिवहन कार्यालय स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है। चार एकीकृत जाँच चौकियाँ स्थापित करने हेतु 9.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्रशासनिक पारदर्शिता

16. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रशासन में पारदर्शिता के प्रति वचनबद्ध है। **प्रथम चरण में सभी निर्माण विभागों में निविदा पद्धति के रूप में ई–टेंडरिंग लागू करने का निर्णय लिया गया है**। लोक निर्माण विभाग में प्रचलित ई–टेंडरिंग पद्धति में 1 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों की निविदायें आमंत्रित की जाती है, जिसे अब घटाकर 50 लाख किया जाएगा तथा सितम्बर, 2005 से इसे और कम किया जाकर 25 लाख किया जाएगा। लोक निर्माण तथा जल संसाधन विभाग के सभी मैदानी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कर ई–टेंडरिंग लागू करने के लिए 2.20 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

17. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि शासकीय योजनाओं की जानकारी सभी माननीय विधायकों को एवं जनसाधारण को हो,

इसके लिए सुलभ संदर्भ के रूप में पहली बार बजट पुस्तिकाओं में योजनाओं के संक्षिप्त विवरण का समावेश किया गया है।

वर्ष 2004–05 का पुनरीक्षित अनुमान

18. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2004–05 के पुनरीक्षित अनुमान के आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा।

18.1 वर्ष 2004–05 में कुल व्यय 9368.43 करोड़ रूपये अनुमानित था जो कि पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर 9607.62 करोड़ संभावित है। इसका मुख्य कारण राजस्व आयोजना तथा आयोजनेत्तर व्यय में अधिक प्रावधान किया जाना है।

18.2 राजस्व प्राप्ति में बजट अनुमान 2004–05 में 7365.44 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 7457.57 करोड़ अनुमानित है।

18.3 बजट अनुमान 2004–05 की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व घाटा (–) 240.29 करोड़ से बढ़कर (–) 407.18 करोड़ अनुमानित है। इसका मुख्य कारण बाजार ऋण के भविष्य के देयताओं को पूर्ण करने के लिए बनाई गई संचित शोधन निधि में 130 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया जाना है। इससे भविष्य की ऋण देयता में कमी होगी। राजकोषीय घाटा बजट अनुमान (–) 1979.41 करोड़ से बढ़कर (–) 2113.50 करोड़ अनुमानित है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 5.6 प्रतिशत है।

वर्ष 2005–06 का बजट अनुमान

19. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2005–06 के लिये बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ।

20. वर्ष 2005–06 के लिये कुल व्यय 10217.94 करोड़ अनुमानित है, जिसमें आयोजनेत्तर व्यय 5928.07 करोड़ तथा आयोजना व्यय 4289.87 करोड़ सम्मिलित है। यह वर्ष 2004–05 के पुनरीक्षित अनुमान से 610.32 करोड़ अधिक है। गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में इस वर्ष आयोजना व्यय में 452 करोड़ की वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

21. एक तरफ से विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच सही संतुलन तथा दूसरी तरफ राजकोषीय मजबूती प्राप्त करने के लिये आयोजना 2005–06 के लिये 4289.87 करोड़ की सकल बजटीय प्रावधान किया गया है। इस राशि में से केन्द्रीय सहायता के रूप में 1190.52 करोड़ अनुमानित की गयी है। शेष राशि राज्य के संसाधनों से उपलब्ध करवायी जायेगी।

22. गत वर्ष आयोजना व्यय कुल व्यय का 40 प्रतिशत अनुमानित किया गया था, जबकि वर्ष 2005–06 के बजट में यह प्रतिशत बढ़कर 42 प्रतिशत अनुमानित है। इस प्रकार आयोजना मद् में 2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत है।

23. आयोजना व्यय में वृद्धि के साथ–साथ पूंजीगत व्यय में वृद्धि को गत वर्ष के समान प्राथमिकता दी गई है। इस वर्ष गत वर्ष के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 337 करोड़ की वृद्धि अनुमानित की गई है। इस वृद्धि से राज्य के आर्थिक विकास को और अधिक गति मिलेगी तथा राज्य में पूंजीनिवेश को बढ़ावा मिलेगा। पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 4.84 प्रतिशत है।

24. वर्ष 2004–05 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 17 प्रतिशत अनुमानित किया गया था, जबकि वर्ष 2005–06 में यह बढ़कर 19 प्रतिशत हो गया है।

25. राज्य में अधोसंरचना विकास हेतु इस वर्ष भी बजट में समुचित प्रावधान किया गया है। इस हेतु लोक निर्माण में लगभग गत वर्ष की तुलना में 236 करोड़ अर्थात् 34 प्रतिशत अधिक का प्रावधान किया गया है।

26. सामाजिक क्षेत्र में मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आदिम जाति कल्याण क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के लिये 848 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो कि गत वर्ष की तुलना में 41 करोड़ अर्थात् 5 प्रतिशत अधिक है। सुदूर अंचलों में सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके इस हेतु इस वर्ष इस क्षेत्र के लिये 39 करोड़ अधिक का प्रावधान किया गया है। आदिम जाति कल्याण के लिये 1007.57 करोड़ का प्रावधान है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 119 करोड़ अधिक है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिये गत वर्ष की तुलना में 22 करोड़ अधिक का प्रावधान किया गया है।

27. वर्ष 2005–06 के लिये राज्य आयोजना में गत वर्ष की तुलना में 440 करोड़ की वृद्धि प्रस्तावित की गई है, जिसमें सामान्य आयोजना में 2143 करोड़, अनुसूचित जनजाति उपयोजना में 1366 करोड़ तथा अनुसूचित जनजाति विशेष घटक योजना में 288 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

28. आयोजनेत्तर व्यय में इस वर्ष वृद्धि को 2.7 प्रतिशत पर सीमित किया गया है। आयोजनेत्तर व्यय में मुख्य रूप से वेतन के लिये 2105 करोड़, पेंशन भुगतान हेतु 547 करोड़, ब्याज भुगतान हेतु 1120 करोड़, विभिन्न संस्थाओं को दी जाने वाली सब्सिडी के लिये 460 करोड़ तथा अनुदान के रूप में 982 करोड़ सम्मिलित है।

29. राज्य शासन ने अपने स्थापना व्यय को सीमित रखने के लक्ष्य को इस वर्ष भी कायम रखा है। वेतन भत्तों पर होने वाला व्यय, कुल राजस्व आय का 32 प्रतिशत पर सीमित किया गया है। स्थापना व्यय को सीमित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने दिनांक 1 नवम्बर, 2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू की है।

30. वर्ष 2005–06 के लिये कुल राजस्व प्राप्तियाँ 7881.17 करोड़ अनुमानित है जो कि गत वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। राज्य की कर राजस्व प्राप्ति 3415.15 करोड़ अनुमानित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। राज्य का करेत्तर राजस्व 1231.92 करोड़ अनुमानित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक है। कुल केन्द्रीय सहायता 3234 करोड़ अनुमानित है, जो कि गत वर्ष के लगभग बराबर है।

31. राजस्व घाटा 251.14 करोड़ अनुमानित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 156 करोड़ अर्थात् 38 प्रतिशत कम है। वर्ष 2005–06 के लिये वित्तीय घाटा 2305.34 करोड़ अनुमानित है, जो कि अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का 5.8 प्रतिशत है। माननीय सदस्यगण की जानकारी के लिये मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि इस वर्ष पूंजीगत व्यय में 21 प्रतिशत तथा आयोजना मद् में 12 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत कम हुआ है।

32. उपरोक्त वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप वर्ष 2005–06 के आय व्यय में 390.26 करोड़ का शुद्ध घाटा अनुमानित है, तथा वर्ष 2004–05 के अनुमानित अंतिम ऋणात्मक शेष 500.11 करोड़ को शामिल करते हुये वर्ष 2005–06 का अंतिम ऋणात्मक शेष 890.37 करोड़ अनुमानित है। इस घाटे की पूर्ति अतिरिक्त आय के संसाधन जुटाकर तथा वित्तीय अनुशासन के माध्यम से की जावेगी।

33. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में निरन्तर विकास हेतु पूंजीगत व्यय के लिए पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए हमें कड़ा वित्तीय अनुशासन अपनाना होगा। इस उद्देश्य से हमारी राजकोषीय नीति को वैधानिक स्वरूप दिए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से मैं सदन के समक्ष शीघ्र ही **''राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक''** प्रस्तुत करूँगा।

भाग – 2

34. अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष के बजट में राजस्व वृद्धि के लिए हमारी रणनीति कर की दरों में युक्तियुक्तकरण, कर प्रक्रिया का सरलीकरण एवं कर प्रशासन को चुस्त बनाना था। मुझे सदन को यह बताने में अत्यंत हर्ष हो रहा है कि उपरोक्त उपायों के सफल क्रियान्वयन से गत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी माह तक विक्रय कर एवं प्रवेश कर राजस्व में लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। **राजस्व वृद्धि की यह दर पिछले 4 वर्षों में सर्वाधिक है एवं छत्तीसगढ़ राज्य इस रूप से देश के अग्रणी राज्यों में है। देश के अन्य राज्यों की औसतन वाणिज्यिक कर में वृद्धि दर 19 प्रतिशत है**। छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या मध्य प्रदेश की तुलना में 34 प्रतिशत है, जबकि विक्रय कर राजस्व प्राप्ति में मध्य प्रदेश के राजस्व का 45 प्रतिशत है। सीमावर्ती राज्य उड़ीसा की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या लगभग आधी है, किन्तु छत्तीसगढ़ का विक्रय कर राजस्व उड़ीसा के राजस्व का 70 प्रतिशत है। **वाणिज्यिक कर की तरह आबकारी राजस्व में गत वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं यह राजस्व मध्य प्रदेश के आबकारी राजस्व का 42 प्रतिशत है**। पंजीयन शुल्क से प्राप्त राजस्व में गत वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में वृद्धि की यह दर 33 प्रतिशत है।

35. अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप अवगत होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राज्यों की आम सहमति के आधार पर 1 अप्रैल, 2005 से नई कर प्रणाली ''वेट'' लागू की जाना प्रस्तावित है, किन्तु इस दिशा में आम सहमति बनना अभी अपेक्षित है। **अतः इस वर्ष हम वाणिज्यिक कर तथा प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत कोई नया कर प्रस्तावित नहीं कर रहे हैं, और न ही किसी कर की दर में बढ़ोतरी प्रस्तावित है**।

36. अध्यक्ष महोदय, हमारे संकल्प की प्रतिबद्धताओं के अनुक्रम में विगत वर्ष वृत्ति कर की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख की गई थी। **इसी को आगे बढ़ाते हुए वृत्ति कर की वर्तमान सीमा 1.5 लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2 लाख की जानी प्रस्तावित है**। इससे लगभग 10 करोड़ की राजस्व हानि होगी, किन्तु 70,000 लोग लाभान्वित होंगे।

37. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्व वृद्धि के उपाय के बारे में सदन को बताना चाहूँगा।

38. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन हेतु विधेयक लाया जा रहा है। इस संशोधन से कंपनियों के पुनर्गठन एवं समामेलन से संबंधित विलेखों पर मुद्रांक शुल्क देय होगा। इसी प्रकार प्रमोटर बिल्डर्स पद्धति के माध्यम से भूमि का विकास कर सृजित परिसम्पत्ति के ट्रांसफर से संबंधित अनुबंध विलेखों पर भी मुद्रांक शुल्क देय होगा। इससे मुद्रांक शुल्क के रूप में अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी।

39. हमारा राज्य खनिज सम्पदा से सम्पन्न है। हमें खनिज उत्पादन पर रायल्टी भी प्राप्त होती है। परन्तु इस सम्पदा का पूरा लाभ हमारे प्रदेश के विकास के लिए प्राप्त नहीं हो सका है। खनिज मूल्यों में वृद्धि होने से खनिज को धारण करने वाली भूमि के मूल्य में होने वाली वृद्धि का लाभ से वंचित है। वर्षों से बाजार मूल्य के अनुसार कोयला रायल्टी पुनरीक्षण के प्रयास किए गए हैं, परन्तु हमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। खनिज सम्पदा की मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप इस संपदा को धारित करने वाली भूमि के मूल्य में होने वाली वृद्धि पर कर लगाकर अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना अपरिहार्य आवश्यकता बन गया है।

40. अध्यक्ष महोदय, **प्रस्तावित है कि अधोसंरचना तथा सामाजिक सेवा क्षेत्र में विकास तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु अतिरिक्त राजस्व संग्रहण करने के उद्देश्य से खनिजधारी भूमि पर उपकर अधिरोपित किया जाए। इससे वर्ष 2005–06 में 100 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति अनुमानित है**। इस बाबत् विधेयक सदन के इसी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

41. अध्यक्ष महोदय, राज्य के वित्तीय संतुलन को बनाये रखने के लिए राज्य सरकार उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त कर प्रशासन में सुधार, कर वसूली में वृद्धि तथा वित्तीय अनुशासन का पालन करेगी। इन उपायों के माध्यम से बजट घाटे को सीमित किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यगणों के सहयोग से मैं बजट में दिए गए आश्वासन की पूर्ति करने में सफल रहूँगा। इस विश्वास के साथ मैं वार्षिक बजट तथा वित्त विवरण 2005–06 माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

धन्यवाद

जयहिन्द